राजकीय महाविद्यालय नेरवा, जिला शिमला के छात्र निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 4/2011 से 3/2015

भाग–एक

1 **गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों के निपटारे हेतु की गई कार्यवाही का सत्यापन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 13.06.2002 से 03/2011

1	पैरा–3	निर्णीत।	(₹63000 बैंक ड्राफ्ट संख्या 0245083 दिनाँक 29.12.11 द्वारा जमा करने के फलस्वरूप।)
2	पैरा–4	निर्णीत।	(पैरे को पुनः अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/15 में शामिल करने पर।)
3	पैरा–5	निर्णीत।	(पृथक–पृथक रोकड़ बहियों का रख–रखाव करने के फलस्वरूप।)
4	पैरा–6	निर्णीत।	(पैरे को पुनः वर्ष 4/11 से 3/15 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित करने पर।)
5	पैरा–7	निर्णीत।	(₹260, ₹27 व ₹122 को 12 प्रतिशत दण्डात्मक ब्याज सहित जमा करने के उपरान्त।)
6	पैरा–8	अनिर्णीत।	
7	पैरा–9	अनिर्णीत।	
8	पैरा–10	निर्णीत।	(समस्त राशि ब्याज सहित जमा करने के फलस्वरूप।)
9	पैरा–11	निर्णीत।	(रसीद संख्या 0183181 दिनाँक 18.12.12 द्वारा ₹21608 (16131+5477) की राशि ब्याज सहित प्राप्त करने तथा स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ–37–43 पर प्रविष्टि करने पर।)
10	पैरा–12	निर्णीत।	(स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ–58 पर प्रविष्टि करने पर।)
11	पैरा–13	निर्णीत।	(₹104(55+49) रसीद संख्या 00183767 दिनाँक 19.3.13 द्वारा ब्याज सहित जमा करने पर।)

12	पैरा–14	निर्णीत।	(पृष्ठ–19 पर प्रविष्टि करने पर।)
13	पैरा–15	निर्णीत।	(₹2823 (1600+1223) रसीद संख्या 00183774 दिनाँक 14.4.13 द्वारा ब्याज सहित जमा करने पर।)
14	पैरा–16	निर्णीत।	(₹1764 (1000+764) रसीद संख्या 00183768 दिनाँक 19.3.13 द्वारा ब्याज सहित जमा करने पर।)
15	पैरा–17	निर्णीत।	(₹353 (200+157) रसीद संख्या 00183775 दिनाँक 14.4.13 द्वारा ब्याज सहित जमा करने पर।)
16	पैरा–18	निर्णीत।	(स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ–137–83 पर प्रविष्टि करने पर।)
17	पैरा–19	निर्णीत।	(स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ–9 पर प्रविष्टि करने पर।)
18	पैरा–20	निर्णीत।	(सन्तोषजनक उत्तर प्रस्तुत करने पर।)
19	पैरा–21	निर्णीत।	(₹900 चालान संख्या 5 दिनाँक 7.5.05 व ₹100 चालान संख्या 8 दिनाँक 27.3.03 को जमा करने पर।)
20	पैरा–22	निर्णीत।	(₹32 (22+10) रसीद संख्या 0183770 दिनाँक 3.4.13 द्वारा जमा करने पर।)
21	पैरा–23	अनिर्णीत।	
22	पैरा–24	निर्णीत।	(अग्रिम रजिस्टर तैयार करने पर।)
23	पैरा–25	निर्णीत।	(प्रोस्पैक्टस रजिस्टर तैयार करने व कम जमा की गई राशि ₹5430 को ब्याज सहित ₹9464 (5430+4039) रसीद संख्या 253246 दिनाँक 24.10.14 द्वारा जमा करने पर।)
24	पैरा–26	निर्णीत।	(स्टॉक रजिस्टर तैयार करने व सन्तोषजनक उत्तर प्रस्तुत करने पर।)

भाग–2

2 वर्तमान लेखा परीक्षाः–

राजकीय महाविद्यालय, नेरवा के निधि लेखाओं अवधि 4/2011 से 03/2015 तक की वर्तमान लेखा परीक्षा श्री राम सिंह चौहान और श्री मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनाँक 1.6.2015 से 15.6.2015 तक किया गया। विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए माह

06/2011, 12/2012, 6/2013 और 6/2014 एवं व्यय के लिए माह 12/2011, 11/2012, 03/2014 और 3/2015 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैरों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश संस्था द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई जाने वाली अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा"।

अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2011 से 3/2015 के दौरान प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत्त रहे पदाधिकरियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	**नाम**	**कार्यकाल**
1	श्री खेम सिंह ठाकुर	1.4.11 से 30.4.13
2	डा0 कुसम चन्द महन्त	1.5.13 से 17.6.14
3	श्री जय कृष्ण	18.6.14 से 31.7.14
4	डा0 कुसम चन्द महन्त	1.8.14 से 31.3.15

3 अंकेक्षण शुल्कः–

राजकीय महाविद्यालय नेरवा के निधि लेखाओं अवधि 4/2011 से 3/2015 तक के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹32000/– बनता है। अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 3 दिनाँक 9.6.2015 द्वरारा उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को भेजने हेतु अनुरोध किया गया। महाविद्यालय द्वारा राशि ₹32000/– का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के ड्राफ्ट संख्या 274662 दिनाँक 18.6.15 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

महाविद्यालय के निधि लेखाओं अवधि 4/11 से 3/15 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त आय	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2011–12	1348919	717284	59342	2125545	609169	1516376
2012–13	1516376	763324	64528	2344228	758073	1586155
2013–14	1586155	855633	70764	2512552	697781	1814771
2014–15	1814771	1071420	85736	2971927	486298	2485629

वित्तीय स्थिति के अनुसार 31.3.2015 तक विभिन्न निधियों से ₹2485629/– का अन्तिम शेष था जिसका विवरण **परिशिष्ट "क से क–8"** पर संलग्न है तथा इतनी ही राशि विभिन्न निधियों की दिनाँक 31.3.2015 को रोकड़ बही/बैंक में जमा थी। बैंक में जमा राशियो का विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर संलग्न है। इस प्रकार वित्तीय स्थिति, रोकड़ बही और बैंक में जमा राशि में कोई अन्तर नहीं पाया गया।

5 निवेशः–

(क) अंकेक्षणाधीन अवधि में सावधि जमा निवेश का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	निधि का नाम	सावधि जमा निवेश सं0	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	ब्याज की दर	परिपक्वता की तिथि	परिपक्वता राशि
1	मिश्रित निधि	1187	15.3.04	445095	5.75 प्रतिशत	31.8.07	558882
2	मिश्रित निधि	1156	1.9.07	558882	9.50 प्रतिशत	11.9.09 (Pre-matured)	676083

(ख) सावधि जमा निवेश पर ₹48614/– की ब्याज की कम प्राप्तिः–

अकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त क्रम संख्या 2 पर दर्शाई गई सावधि जमा राशि तीन वर्ष के लिए 9.50 प्रतिशत की

दर से निवेशित की गई थी जिसकी वास्तविक परिपक्वता तिथि 1.9.2010 थी परन्तु उक्त सावधि जमा निवेश को परिपक्वता तिथि से पूर्व दिनाँक 11.9.09 को भुनाया गया। परिपक्वता तिथि से पूर्व दिनाँक 11.9.2009 को सावधि जमा निवेश को भुनाने पर ₹117201.00 का ब्याज बनता था जबकि बैंक द्वारा ₹68587/– का ब्याज दिया गया। इस प्रकार बैंक द्वारा सावधि जमा निवेश पर ₹48614/– का कम ब्याज दिया गया जिस बारे मामला बैंक से उठाया जाए तथा इस राशि की तदानुसार बैंक से प्राप्ति करके मिश्रित निधि में जमा करवाया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

क्र0सं0	**सावधि जमा निवेश सं0**	**निवेश की तिथि**	**निवेशित राशि**	**वास्तविक ब्याज दर**	**परिपक्वता तिथि**	**देय ब्याज राशि**	**ब्याज जो दिया गया**	**कम दिया गया ब्याज**
1	1156	1.9.07	558882	9.50 प्रतिशत	11.9.09 (Pre-matured)	117201	68587	48614

6 अकुशल वित्तीय प्रबन्धनः–

दिनाँक 31.3.2015 को महाविद्यालय के विभिन्न निधियों के बचत खातों में कुल ₹2485629/– की राशि शेष थी। बचत खातों पर ब्याज दर सावधि निवेश खातों पर प्राप्त होने वाले ब्याज दर की तुलना में बहुत ही कम होती है जिससे महाविद्यालय को ब्याज के रूप में लगातार हानि हो रही है। अतः सुझाव दिया जाता है कि महाविद्यालय अपने आय–व्यय को ध्यान में रखते हुए बचत खातों से समुचित राशि सावधि जमा में निवेश की जानी सुनिश्चित करें ताकि छात्र निधियों में जमा राशि पर अतिरिक्त ब्याज अर्जित करके छात्रों के कल्याणार्थ व्यय किया जा सके।

7 रेडक्रास निधि के रूप में छात्रों से राशि ₹0.44 लाख की अनियमित प्राप्तिः–

हिमाचल प्रदेश सरकार, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र संख्या ई0डी0एन–ए–के0एच (8) 1/2001 दिनाँक 1.6.2010 अनुसार महाविद्यालय में विभिन्न छात्र निधियों की प्राप्ति की जानी अपेक्षित थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त पत्र में वर्णित छात्र निधियों के विपरीत छात्रों से रेड क्रास निधि के लिए ₹11 प्रति छात्र/प्रति वर्ष की दर से प्राप्ति/वसूली की गई

थी। परिणामस्वरूप दिनाँक 31.3.15 तक ₹44223/–की राशि उक्त निधि में जमा थी। ऐसा प्रतीत होता है कि महाविद्यालय द्वारा अपने स्तर पर ही इस निधि की वसूली की गई थी जोकि पूर्णतया अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः पाई गई अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा छात्रों से उक्त निधि की वसूली बन्द की जाए। दिनाँक 31.3.15 को शेष ₹44223/– की राशि को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से महाविद्यालय की मिश्रित निधि में जमा की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए।

8 छात्र कल्याण निधि के रूप में राशि ₹0.02 लाख की अनियमित प्राप्तिः–

हिमाचल प्रदेश सरकार, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र संख्या ईडीएन–ए–केएचए (8) 1/2001 दिनाँक 1.6.2010 अनुसार महाविद्यालय में विभिन्न छात्र निधियों की प्राप्ति की जानी अपेक्षित थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त पत्र में वर्णित छात्र निधियों के विपरीत छात्रो से छात्र कल्याण निधि (Student welfare fund) के नाम से ₹1 प्रति छात्र/प्रति वर्ष की दर से प्राप्ति/वसूली की गई थी जो Student aid+Medical+Student welfare fund के नाम से संयुक्त निधि में शामिल थी। परिणामस्वरूप वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक ₹2236/– की राशि छात्र कल्याण निधि (Student welfare fund) में जमा थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाविद्यालय द्वारा अपने स्तर पर ही इस निधि की वसूली की गई थी जोकि पूर्णतया अनियमित व आपत्तिजनक है। पाई गई अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा छात्रों से उक्त निधि की वसूली बन्द की जाए। अतः ₹2236/– की राशि को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से महाविद्यालय की मिश्रित निधि में जमा की जाए तथा वर्ष 2011–12 से पूर्व जमा राशि की भी अपने स्तर पर गणना करके मिश्रित निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	वर्ष	छात्रों की संख्या	दर प्रतिछात्र प्रति वर्ष	राशि
1	2011–12	593	₹1	593
2	2012–13	514	₹1	514
3	2013–14	590	₹1	590
4	2014–15	539	₹1	539
			योग=	**2236**

9 सी0एस0सी0ए0 निधि बारेः–

महाविद्यालय द्वारा "केन्द्रीय छात्र महाविद्यालय संघ निधि" (Central Student College Association) के नाम से प्रति छात्र ₹10 वार्षिक की दर से प्राप्ति की गई थी। निधि में दिनाँक 31.3.2015 को राशि ₹10058/– शेष थी। उपरोक्त निधि को छात्रों से प्राप्त करने बारे सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की प्रति अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः उपरोक्त निधि की वसूली को सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली भविष्य में बन्द की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 जुर्माना निधि की राशि ₹40 की कम वसूली करनाः–

जुर्माना निधि की पड़ताल करने पर पाया गया कि माह 12/2012 में ₹40 की राशि छात्रों से कम वसूल की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	कक्षा	रोल नं0	जुर्माना निधि की राशि देय	जुर्माना निधि की प्राप्त राशि	कम प्राप्त की गई राशि
1	बी0ए0–3	703	45	15	30
2	बी0ए0–1	165	59	49	10
				योग	**40**

अतः राशि ₹40 की वसूली छात्रों से न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके जुर्माना निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 अंशकालिक कम्पयूटर अध्यापक को राशि ₹0.16 लाख का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा श्री मोहिन्द्र लाल को अंशकालिक कम्पयूटर अध्यापक के पद पर ₹4000/– प्रतिमाह की दर से सीमित अवधि के लिए रखा गया तथा अध्यापक द्वारा दिनाँक 25.8.11 को कार्यग्रहण किया गया। परन्तु इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। चर्चा के दौरान संस्थाध्यक्ष द्वारा अवगत करवाया गया कि इस प्रकार के नियुक्ति आदेश उनके ध्यानार्थ नहीं है। अतः बिना नियुक्ति आदेश के उपरोक्त अध्यापक को अवधि

25.8.11 से 31.10.12 तक निम्नविवरणानुसार राशि ₹15613/– का भुगतान किया गया जोकि अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक है। अतः अनियमित भुगतान बारे वास्तविक तथ्यों सहित पूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

क्र0सं0	**अवधि**	**रोकड़ बही पृष्ठ**	**राशि**
1	28.8.11 से 31.8.11	8	903
2	1.9.11 से 30.9.11	8	4000
3	1.10.11 से 21.10.11	9	2710
4	1.9.12 से 30.9.12	15	4000
5	1.10.12 से 31.10.12	15	4000
		योग=	**15613**

12 ₹0.35 लाख का अनियमित भुगतानः–

महाविद्यालय नेरवा के लेखों के व्यय वाउचरों की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि आदर्श जनरल स्टोर एण्ड टी स्टॉल, नेरवा को निम्नविवरणानुसार जलपान इत्यादि पर ₹35025/– का मिश्रित निधि से भुगतान किया गया। उक्त भुगतान करने से पूर्व हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 98 के अनुसार आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण नहीं की गई थी। उक्त नियमानुसार ₹3000/– से अधिक के सामान की खरीद पर या तो निविदाऐं आमंन्त्रित की जानी थी या क्रय सीमित की संस्तुति प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। परन्तु निम्न प्रकरणों में क्रय करने से पूर्व उपरोक्त औपचारिकताऐं पूर्ण नहीं की थी जोकि अनियमित है। अतः ₹35025/– के अनियमित व्यय बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए। भविष्य में ₹3000/– से अधिक के सामान के क्रय/व्यय से पूर्व उपरोक्त नियम के अन्तर्गत आवश्यक औपचारिकताऐ पूर्ण की जानी सुनिश्चित की जाऐं।

क्र0सं0	बिल सं0 व दिनाँक	फर्म का नाम जिसे भुगतान किया गया	विवरण	राशि
1	453 30.11.12	आदर्श जनरल स्टोर एण्ड टी स्टाल, नेरवा	दिनाँक 30.11.12 को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता पर जलपान इत्यादि	9600
2	476 6.3.14	–यथोपरि–	दिनाँक 6.3.14 कों वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह	3445
3	475 6.3.14	–यथोपरि–	–यथोपरि–	4080
4	487 13.3.15	–यथोपरि–	दिनाँक 13.3.15 को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह	9880
5	490 5.3.15	–यथोपरि–	दिनाँक 5.3.15 को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह	8020
			योग	**35025**

13 **सरकारी प्राप्तियों का राजकीय कोषागार से मिलान न करनाः–**

महाविद्यालय द्वारा सरकारी प्राप्तियों जैसे कि प्रवेश शुल्क, विलम्ब प्रवेश शुल्क, टयूशन शुल्क इत्यादि की राशि को छात्रो से प्राप्त करके चालान के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवा गया था। परन्तु जमा करवाई गई राशियों का राजकीय कोष से मिलान नहीं किया गया था। अतः जमा करवाई गई राशियों का मिलान राजकीय कोष से किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि इन राशियों की वास्तविक जमा पुष्टि की जा सके।

14 **विविधः–**

(क) पुस्तकालय प्रतिभूतिः–

निदेशक, उच्चत्तर शिक्षा के पत्र संख्या ई0डी0एन–एच (8) बी (4) 28/8 बजट–लूज दिनाँक 26.3.2009 के अनुसार यदि छात्र महाविद्यालय छोड़ने के दो वर्ष के भीतर अपनी पुस्तकालय प्रतिभूति वापिस नहीं लेता है तो इस प्रकार की राशि को जब्त किया जाना अपेक्षित था परन्तु महाविद्यालय द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई जिस बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त पत्रानुसार कालातीत हो चुकी पुस्तकालय

प्रतिभूति राशियों को जब्त किया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त महाविद्यालय द्वारा छात्रवार पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था जिसे शीघ्र तैयार किया जाए छात्रों को पुस्तकालय प्रतिभूति वापिस करने से देय राशि का सत्यापन किया जा सके।

(ख) पुस्तकालय एक्सेशन रजिस्टरः–

महाविद्यालय द्वारा पुस्तकालय एक्सेशन रजिस्टर (Libarry Accession Register) का दिनाँक 9.7.2012 के बाद रख रखाव नहीं किया गया था। अतः दिनाँक 9.7.2012 के उपरान्त पुस्तकालय हेतु क्रय की गई विभिन्न पुस्तकों को उक्त रजिस्टर में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) पत्रिका निधिः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं से पत्रिका निधि प्राप्त की गई थी परन्तु वर्ष 2012–13 से "महाविद्यालय पत्रिका" को मुद्रित नहीं करवाया गया था। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में "महाविद्यालय पत्रिका" को नियमित रूप से मुद्रित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) समाचार पत्रः–

महाविद्यालय द्वारा पुस्तकालय निधि से पिछले कई वर्षों से समाचार पत्रों का क्रय किया गया था परन्तु दिनाँक 12.4.14 को केवल 53 किलोग्राम पुराने समाचार पत्रों की रद्दी की ₹12 प्रति किलोग्राम की दर से नीलामी की गई। नीलामी से प्राप्त ₹636/– की राशि को दिनाँक 16.4.2014 को पुस्तकालय निधि में जमा किया गया। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त नीलामी की दिनाँक को महाविद्यालय में केवल 53 किलोग्राम की रद्दी पाई गई। अतः वर्षों से क्रय किए गए रहे समाचार पत्रों का दिनाँक 12.4.14 को केवल 53 किलोग्राम का ही स्टॉक पाया जाना तर्कसंगत नहीं है। अतः इस बारे महाविद्यालय स्त्तर पर छानबीन सुनिश्चित करके वास्तविक शेष स्टॉक की मात्रा का पता लगाया जाए तथा तदानुसार इसकी नीलामी सुनिश्चित करके प्राप्त राशि को पुस्तकालय निधि में जमा करवाया जाए।

(ङ) गृह परीक्षा निधिः–

महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान समय–समय पर उत्तर पुस्तिकाओं एवं लेंखन सामग्री का क्रय किया गया परन्तु गृह परीक्षाओं के दौरान उपयोग की गई उपरोक्त सामग्री का कोई भी विवरण तैयार नहीं किया गया था। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य

में गृह परीक्षाओ के दौरान उपयोग की गई उत्तर पुस्तिकाओं एवं अन्य लेखन सामग्री का विवरण तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी तिथि विशेष को इन स्टॉक मदों के शेष का पता लगाया जा सके।

17 **लघु आपति विवरणिकाः—** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया है।

18 **निष्कर्षः—** लेखों का रख—रखाव सन्तोषजनक पाया गया परन्तु इनमें निरन्तर उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एलए0)एच(2)सी(15)(xi)(i)254/12 खण्ड—1—6134—6136 दिनांक 19.1015,शिमला—09
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

1 निदेशक, शिक्षा, (उच्चत्तर शिक्षा) हि0प्र0 शिमला—171001.

2 उप निदेशक शिक्षा, (उच्चत्तर शिक्षा) विभाग, हि0प्र0।

पंजीकृत 3. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय नेरवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें ।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.